न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 07/2025
निर्णय दिनांक :– 28.03.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. भवान पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी आवण्डिया तहसील फागी जिला जयपुर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
2. कजोड पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
3. धारासिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
4. नवल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
5. बृजेन्द्रसिंह पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
6. बृजनरेश पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
7. भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
8. भवाना पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
9. यादराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
10. रामचरण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
11. हरि पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज.
12. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

(2)

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री नेतराम चौधरी वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 111 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28.03.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 128 के आराजी खसरा नम्बर 448/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 450 रकबा 1.0748 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 451/5 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 453/3रकबा 0.4299 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 466/730 रकबा 0.0632 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.7450 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम आवण्डिया पटवार हल्का सुल्तानिया भू. अभि. नि. क्षैत्र लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज. में स्थित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में मेरकोर की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् तहसीलदार महोदय फागी के आदेश कमांक/भू.अ./24/2470–2473 दिनांक 23/05/2024 की पालना में दिनांक 10/06/2024 को राजस्व टीम जिसमें पटवारी पटवार हल्का सुल्तानिया, निमेंडा व घटियाली ने संयुक्त रूप से सीमाज्ञान करवाया गया। राजस्व टीम द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें अनुसार तहसीलदार फागी के आदेश की पालना में हुये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजुदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शें की दर्शाते हुये सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी के यहॉ प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा नही मानकर अनदेखी कर मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नही चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण नही मानते एवं प्रार्थी द्वारा विधिवत सीमाज्ञान करवाने के बावजूद पत्थरगढी नही होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को कब्जें काश्त खातेदारी आराजी भूमि में मजाहत करते है। क्योंकि प्रार्थी की आराजी भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी हैं। सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 एवं आदेश कमांक/भू.अ./24/2470–2473 दिनांक 23/05/2024 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 को हुये सीमाज्ञान एवं

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा प्रार्थी से आये दिन मेरकोर को लेकर लडाई–झगडा करते हैं तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 10/06/2024 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान् न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 की सम्यक तामिल हो चुकी है फिर भी उपस्थित नही हुए। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 लगायत 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम आवंडिया के खाता सं0 128 में प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2024 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 128 के आराजी खसरा नम्बर 448/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 450 रकबा 1.0748 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 451/5 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 453/3 रकबा 0.4299 हैक्टयर, आराजी खसरा नम्बर 466/730 रकबा 0.0632 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.7450 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम आवण्डिया तहसील फागी जिला जयपुर आराजीयात के पडोसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडोसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी

आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/3/25

(राकेश कुमार मी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते